तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./643/2003/अलवर कल्लू सिंह बनाम टोपन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-08-19	**एकलपीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थितः** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अयूब खान, अधिवक्ता अप्रार्थी **—: आदेश :—** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम 1956) की धारा 84 के अंतर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2001 शीर्षक कल्लू सिंह बनाम टोपन सिंह में पारित आदेश दिनांक 04—01—2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वर्तमान निगरानी के निगराकार द्वारा तहसीलदार, अलवर के समक्ष आवेदन वास्ते प्रदान करने पट्टा सनद प्रस्तुत किया और तहसीलदार, अलवर ने आदेश दिनांक 2—3—1970 से "नियमों के अनुसार जारी करने" का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी/वर्तमान निगरानी के गैर निगराकार द्वारा जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, अलवर ने निर्णय दिनांक 5—3—1980 के द्वारा अपील संख्या 19/9ए को स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने उनके समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 203/96 को दिनांक 31—08—2001 को अधिवक्ता अपीलार्थी कह प्रार्थना अनुसार No Instruction Plead में खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 30/2001 प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत करने पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 04—01—2003 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी प्राथी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में गैर निगराकार के पुत्र सुरजीत सिंह पुत्र टोपन सिंह द्वारा दिनांक 24—08—2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21—08—2019 को उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। यहॉ ये उल्लेख किया जाना भी आवश्यक व उपयुक्त प्रतीत होता है कि दिनांक 21—08—2019 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./643/2003/अलवर कल्लू सिंह बनाम टोपन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रक्रिया संहिता पर सुनी गई थी। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21–08–2019 में सहवन से "निगरानी पर बहस सुनी गई" अंकित हो गया है, जब कि बहस निगरानी पर नहीं सुनी जा कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनी गई है। अतः निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता पर ही किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 टोपन सिंह का दिनांक 28–8–1983 को स्वर्गवास हो गया था जिसके पश्चात् भी न्यायालय में निगरानी दिनांक 10–02–2003 मृतक टोपन सिंह पुत्र उददोदास सिक्ख (मृतक) मार्फत सन्तोषसिंह गोड स्मीथ मालाखेडा बाजार, अलवर प्रस्तुत की गई थी। अप्रार्थी टोपन सिंह, प्रार्थी द्वारा खुद मृतक मानता है तो ऐसी स्थिति में निगरानी मार्फत संतोष सिंह प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। टोपन सिंह फौत हो गया है तो फिर संतोष सिंह किस प्रकार अप्रार्थी का मार्फत हो सकता है? टोपन सिंह फौत हो जाने के बाद संतोष सिंह किसी प्रकार का मार्फत नहीं रह जाता है। अतः मण्डल के समक्ष यह निगरानी कानूनन मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और मृत व्यक्ति के विरुद्ध निगरानी संधारण योग्य नहीं रहती है। अतः यह निगरानी मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने से इसी आधार पर खारिज की जाये। प्रार्थी/निगराकार पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में निहित आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के बाबत् तहसीलदार, अलवर द्वारा दिनांक 2–3–1970 को सनद पट्टा जारी किया गया था और प्रथम अपील में जिला कलक्टर, अलवर ने अविधिक रुप से दिनांक 21–2–1980 को निर्णय पारित कर इस पट्टे को निरस्त किया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध जो द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई उसे दिनांक 31–8–2001 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस आधार पर खारिज किया था कि अपीलाण्ट की ओर से कोई हिदायत पैरवी नहीं है। उक्त निर्णय के विरुद्ध हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 4–1–2003 के निर्णय से अविधिक रुप से अस्वीकार किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर प्रार्थी के प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र में टोपन सिंह पक्षकार के रुप में दर्ज रहा है और हमारे द्वारा मण्डल के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की है उसमें भी स्पष्ट रुप से अप्रार्थी संख्या–1 के रुप में "टोपन सिंह पुत्र उददोदास सिक्ख (मृतक) मार्फत सन्तोषसिंह गोड स्मीथ मालाखेडा बाजार,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./643/2003/अलवर कल्लू सिंह बनाम टोपन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अलवर" अंकित किया गया है। अतः निगरानी को मृतक के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है। अतः निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जाये और निगरानी में गुणावगुण पर परीक्षण किया जाये। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन–अध्ययन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 2–3–1970 के विरुद्ध गैर निगराकार द्वारा जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर, अलवर ने निर्णय दिनांक 5–3–1980 के द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई जिस अपील संख्या 203/96 को उनके द्वारा दिनांक 31–08–2001 को अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना अनुसार No Instruction Plead में खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 30/2001 प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत करने पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–01–2003 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय की पत्रावली संख्या 30/2001 की आदेशिका के अध्ययन से पाया जाता है कि आदेशिका दिनांक 15–3–1984 में अंकित किया गया है कि **"अपीलाण्ट तथा रैस्पो0 के वकील उपस्थिति हैं। वकील रैस्पो0 ने जाहिर किया कि रैस्पो0 टोपन सिंह का काफी अर्से पहले स्वर्गवास हो गया है।**" इस प्रकार स्पष्ट है कि टोपन सिंह के फौत होने का ज्ञान निगराकार को पहले से ही रहा है और उनके अधिवक्ता द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय को इस बारे में अवगत कराया गया है। निगराकार कल्लूसिंह के द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई इस निगरानी में अप्रार्थी संख्या–1 के रुप में "टोपन सिंह पुत्र उददोदास सिक्ख (मृतक) मार्फत सन्तोषसिंह गोड स्मीथ मालाखेडा बाजार, अलवर" अंकित किया गया है। जब टोपन सिंह के वारिस के रुप में उसका पुत्र (आवेदक – प्रार्थना पत्र धारा 151, सी0पी0सी0) सुरजीत सिंह रहा है तो निगरानी प्रस्तुत करते समय उसे बतौर पक्षकार दर्ज करते हुये निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी, टोपन सिंह के फौत हो जाने के पश्चात् संतोष सिंह की मार्फत निगरानी प्रस्तु नहीं की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा यह निगरानी मृतक व्यक्ति टोपन सिंह को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत की गई है। विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के अनुसार मृतक के खिलाफ किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./643/2003/अलवर कल्लू सिंह बनाम टोपन सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की निगरानी संधारण योग्य नहीं रहती है। अतः अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 24–08–2016 स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरुप यह निगरानी मृतक के विरुद्ध होने से संधारण योग्य नहीं पाये जाने से इसी आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	